Bihar State Power (Holding) Company Limited
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड
Registered Office, Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna-800021
निबंधित कार्यालय, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना–800021
A Govt. of Bihar Undertaking
GST No. 10AAFCB2394A2ZD, CIN No.-U40102BR2012SGC018495
E-mail : gmfnkj@gmail.com : Mob. No. 7763813838

का०आ०सं० : MT/Nidhi/BSPHCL/DLC Pens./33/2018 164 दिनांक 25-01-2019

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के संकल्प संख्या–67–03 दिनांक 24.01.2019 के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० एवं उनके अनुषंगी कम्पनियों से संबंधित कर्मियों का सभी प्रकार के सेवांत लाभ (पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन सहित) का केन्द्रित (Centralised) भुगतान तथा राज्य सरकार की भाँति पेन्शन/पारिवारिक पेन्शनधारियों को डीजिटल जीवन प्रमाण–पत्र (Digital Life Certificate) समर्पित करने की सुविधा प्रदान करने के संबध में निम्न निर्णय लिया गया है :–

1. दिनांक 01.04.2019 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० एवं उनके अनुषंगी कम्पनियों से संबंधित कर्मियों का सभी प्रकार के सेवान्त लाभ (पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन सहित) का भुगतान पदाधिकारी, केन्द्रीत रूप से लेखा पदाधिकारी (सेवान्त लाभ), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना होंगे।

2. सेवान्त लाभ का स्वीकृति पदाधिकारी तथा भुगतान आदेश निर्गत पदाधिकारी पूर्व की भाँति संबंधित कम्पनी के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर के पदाधिकारी होंगे।

3. राज्य सरकार की भाँति बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० एवं उनके अनुषंगी कम्पनियों के अंतर्गत पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र (Digital Life Certificate) समर्पित करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

4. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० एवं उनके अनुषंगी कम्पनियों से संबंधित कर्मियों का सभी प्रकार के सेवान्त लाभ (पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन सहित) का केन्द्रीयकृत भुगतान एवं डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र (Digital Life Certificate) समर्पित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु श्री एन० के० झा, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को अधिकृत किया जाता है।

राज्य सरकार की भाँति बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० एवं उनके अनुषंगी कम्पनियों के अंतर्गत पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र (Digital Life Certificate) समर्पित करने की सुविधा प्रदान करने हेतु अपनाई जानेवाली प्रक्रिया अलग से संसूचित की जायेगी।

आदेशानुसार

ह०/–
(एन० के० झा)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

कृ०पृ०उ०

E:\Letters\OFFICE Order\Centralised Terminal Benefit Officer Order (25.01.19).doc

ज्ञापांक ______________ दिनांक ______________

प्रतिलिपि : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के अवर सचिव, बी.एस.पी.एच.सी.एल./ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/एस.बी.पी.डी.सी.एल/एन.बी.पी.डी.सी.एल/ बी.एस.पी.जी.सी.एल./बी.एस.पी.टी.सी.एल. पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(एन० के० झा)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ज्ञापांक ______________ दिनांक ______________

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बी.एस.पी.एच.सी.एल./एस.बी.पी.डी.सी.एल/ एन.बी.पी.डी.सी.एल/बी.एस.पी.जी.सी.एल./बी.एस.पी.टी.सी.एल. पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक 01.04.2019 से सभी सेवान्त लाभ का भुगतान लेखा पदाधिकारी (सेवान्त लाभ), बी.एस.पी.एच.सी.एल. के माध्यम से कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

ह०/–
(एन० के० झा)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ज्ञापांक ______________ दिनांक ______________

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), एस.बी.पी.डी.सी.एल/एन.बी.पी.डी.सी.एल/ बी.एस.पी.जी.सी.एल./बी.एस.पी.टी.सी.एल. पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधीन सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाय कि उनके कार्यालय से भुगतान किये जा रहे सेवान्त लाभ का निष्पादन दिनांक 31.03.2019 तक करते हुए आगे की भुगतान लेखा पदाधिकारी (सेवान्त लाभ), बी.एस.पी.एच.सी.एल. के माध्यम से कराने हेतु सूची बना कर मूल अभिलेख के साथ बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० मुख्यालय को हस्तानान्तरण करने का कष्ट करें तथा दिनांक 01.04.2019 से सेवान्त लाभ के मद में किसी भी प्रकार का भुगतान ना करें।

ह०/–
(एन० के० झा)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ज्ञापांक 133 दिनांक 25-01-19.

प्रतिलिपि : कम्पनी सचिव, बी.एस.पी.एच.सी.एल. पटना को सूचनार्थ प्रेषित।/ उप महाप्रबंधक (आई०टी०), बी.एस.पी.एच.सी.एल. पटना से अनुरोध है कि उक्त आदेश को कम्पनी के बेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

25.1.19

(एन० के० झा)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

E:\Letters\OFFICE Order\Centralised Terminal Benefit Officer Order (25.01.19).doc